



CENTRAL COALFIELDS LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Limited)
OFFICE OF THE PROJECT OFFICER
NORTH URIMARI RAILWAY SIDING
BARKA-SAYAL AREA



Ref. No.-PO/NURS/Reply/8.27 Ha/FC/2021/1443

Date:-06.09.2021
07

सेवा मे,

वन प्रमंडल पदाधिकारी

पश्चिमी वन प्रमंडल

वन भवन, हजारीबाग

विषय: सी.सी.एल. की नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु 11.11 हे. (हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल के अंतर्गत 8.27 हे.) वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक संख्या 2399 दिनांक 15.07.2021।

महाशय,

आपके पत्रांक संख्या 2399 दिनांक 15.07.2021 के अनुसार आपके द्वारा नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु हेतु 11.11 हे. (हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल के अंतर्गत 8.27 हे.) वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र एवं FRA प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी।

इस संदर्भ में उपायुक्त के स्तर से निर्गत FRA प्रमाण पत्र को आठ प्रतियों में जमा किया जा रहा है और अनापति प्रमाण पत्र के लिए आठ प्रतियों में उपक्रम जमा किया जा रहा है।

अतः आपसे सविनय निवेदन है की आप नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग के अंतर्गत हजारीबाग वन प्रमंडल में पड़ने वाले 8.27 हे. वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर अग्रसर कार्यवाही करने की कृपा करें।

परियोजना पदाधिकारी
नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना
बरका-सयाल क्षेत्र
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

FORM-I
(for linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector
Hazaribag

No. **550**

Dated **14/08/2021**

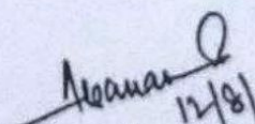
**To WHOM SOEVER IT MAY
CONCERN**

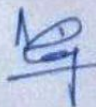
In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.27 Hec. of forest land proposed to be diverted in favour of **Central Coalfield Limited** for construction of **North Urimari Railway Siding** in Hazaribagh district falls within jurisdiction of **Urimari (8.27 Hec.) in Barkagaon tehsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.27 Hec. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls: As above.


12/8/2021
Deputy Commissioner
Hazaribag



550

14/08/2021

- ज्ञापांक...../क0, हजारीबाग, दिनांक.....
- प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल एवं अन्य संबंधित सदर्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, बडकागाँव, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परियोजना पदाधिकारी, नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग,, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

[Signature]
उपायुक्त,
हजारीबाग।

[Signature]

दिनांक 03.07.2021 को उपायुक्त, हजारीबाग की अध्यक्षता में Google meet के माध्यम से आयोजित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही:-

कार्यवाही

एजेन्डा 1:- चलकुशा अंचल अन्तर्गत पलमा (NH-2) पर एवं MDR-090 पर मरकेडीह-चौबे-कंरावारी MDR-090 पर पथ चौड़ीकरण कार्य हेतु गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के अपयोजन हेतु कुल 06 (छः) अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो निम्नवत है:-

अधिसूचित वन भूमि						
क्र०	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	भूमि का किस्म
01	चलकुशा	मानगो/24	13	02	0.28 ए०	वन भूमि
02		खिजुरसोता/22	01	282	0.04 ए०	वन भूमि
03		चलकुशा/18	471	675,2193,2205,2329,2197	0.74 ए०	वन भूमि
04		चौबे/30	177	4421	1.04 ए०	वन भूमि
05		बरियोन/29	41	300,741	1.47 ए०	वन भूमि
06		भीखनाडीह/23	27	13,14,106	2.40 ए०	वन भूमि

अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से प्रस्ताव पारित है जिसका जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा FRA प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेन्डा 2:- अंचल बड़कागाँव नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग के निर्माण हेतु गैरमजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुवा, जंगल इत्यादि) भूमि का अपयोजन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

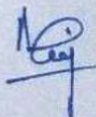
अधिसूचित वन भूमि							
क्र०	अंचल	योजना का नाम	ग्राम	खाता नं०	प्लॉट	रकबा (हे० में)	भूमि का किस्म
01	बड़कागाँव	नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग का निर्माण	उरीमारी / 155	01	756	3.87 हे०	जंगल
02					730	0.81 हे०	जंगल
कुल:-						4.68 हे०	
जंगल-झाड़ी भूमि							
क्र०	अंचल	योजना का नाम	ग्राम	खाता नं०	प्लॉट	रकबा (हे० में)	भूमि का किस्म
	बड़कागाँव	नार्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग का निर्माण	उरीमारी / 155	01	756	0.18 हे०	जंगल-झाड़ी
					688	0.28 हे०	जंगल-झाड़ी
03					335	0.51 हे०	जंगल-झाड़ी
					158	0.12 हे०	जंगल-झाड़ी
					96	0.70 हे०	जंगल-झाड़ी
04					87	0.67 हे०	जंगल-झाड़ी
					11	0.04 हे०	जंगल-झाड़ी
05					02	1.09 हे०	जंगल-झाड़ी
कुल:-						3.59 हे०	

अंचल का नाम	ग्राम का नाम	वन भूमि (हे० में)	जंगल-झाड़ी (हे० में)	कुल भूमि (हे० में)
बडकागाँव	उरीमारी	4.68 हे०	3.59 हे०	8.27 हे०

अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से प्रस्ताव पारित है जिसका जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा FRA प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेन्डा 3:- विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (प्र०) विद्युत आपूर्ति अंचल, हजारीबाग के झापांक 683 दिनांक 14.06.2021 द्वारा 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र, बनासो से 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र झरपो तक 33 के०भी० लाईन निर्माण हेतु भूमि अपयोजन के संबंध में पूर्व में निर्गत FRA एवं अनापति पत्र संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

अधिसूचित वन भूमि							
क्र०	अंचल	योजना का नाम	ग्राम	थाना नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हे० में)	भूमि का किस्म
01	विष्णुगढ़	33/11 के० भी० विद्युत उपकेन्द्र, बनासो से 33/11 के० भी० विद्युत उपकेन्द्र झरपो तक 33 के० भी० लाईन निर्माण	भेलवारा	185	71	0.615	जंगल
					39	0.518	
					27	0.550	
					26	0.647	
					701	1.101	
					704	0.551	
					680	0.814	
					813	0.972	
					815	0.680	
					817	0.502	
					858	0.259	
					889	0.822	
			कुल:-		8.031		
02			नावाडीह	201	161	0.421	जंगल
			कुल:-		0.421		
03			चलंगा	203	374	0.255	जंगल
					428	1.393	
					449	0.550	
					कुल:-		
04			जमुवा	196	2	0.745	जंगल
					4	1.506	
					174	0.215	
			कुल:-		2.466		
05					कुसुम्मा	236	41
	कुल:-						
06	नवादा	234			1972	0.117	जंगल
					1915	0.246	
					1989	0.994	
	कुल:-				1.357		
07	बनासो	242			1298	0.777	जंगल
					1297	0.170	
	कुल:-		0.947				

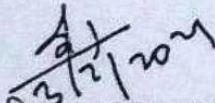


जंगल-झाड़ी							
क0	अंचल	योजना का नाम	ग्राम	धाना नं0	प्लॉट नं0	रकबा (हे0 में)	भूमि का किस्म
01	विष्णुगढ़	33/11 के0 भी0 विद्युत उपकेन्द्र, बनासो से 33/11 के0 भी0 विद्युत उपकेन्द्र झरपो तक 33 के0 भी0 लाईन निर्माण	नवादा	234	1970	0.038	जंगल-झाड़ी

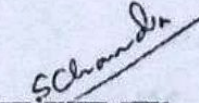
अंचल का नाम	ग्राम का नाम	वन भूमि (हे0 में)	जंगल-झाड़ी (हे0 में)	कुल भूमि (हे0 में)
विष्णुगढ़	भेलवारा	8.031	—	8.031
	नावाडीह	0.421	—	0.421
	चलंगा	2.198	—	2.198
	जमुवा	2.466	—	2.466
	कुसुम्भा	0.360	—	0.360
	नवादा	1.357	0.038	1.395
	बनासो	0.947	—	0.947
	कुल:-	15.780	0.038	15.818

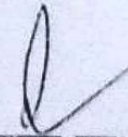
इस कार्यालय के पत्रांक 1476, 1477 दिनांक 24.10.2018 एवं पत्रांक 979, 986 दिनांक 06.08.2019 द्वारा पूर्व में निर्गत FRA प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में उपरोक्त विवरणी के अनुसार संशोधन करते हुए जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा नये प्रपत्र में FRA प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

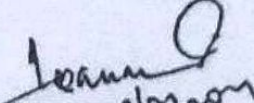
सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


जि० क० पदा०
हजारीबाग

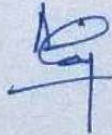
वन प्रमण्डल पदा०
वन्य प्राणी प्र०
हजारीबाग

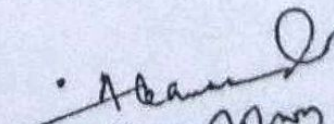

वन प्रमण्ड पदा०
पूर्वी वन प्र०
हजारीबाग


वन प्रमण्डल पदा०
पश्चिमी वन प्र०
हजारीबाग


उपायुक्त, 5/11/20
हजारीबाग।

प्रतिलिपि:- झापांक 409/क० हजारीबाग, दिनांक 03/07/2021
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल/पूर्वी वन प्रमण्डल/वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।




उपायुक्त, 5/11/20
हजारीबाग।



CENTRAL COALFIELDS LIMITED
(A Subsidiary of Coal India Limited)
OFFICE OF THE PROJECT OFFICER
NORTH URIMARI RAILWAY SIDING
BARKA-SAYAL AREA



Ref. No.-PO/NURS/Reply/8.27/FC/2021/1444

Date:-06.09.2021
०७

UNDERTAKING

नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग के हजारीबाग ज़िले में पड़ने वाले 8.27 हे. कुल जंगल भूमि में 4.68 हे. भूमि अधिसूचित वन भूमि है और 3.59 हे. जंगल झाड़ी है। इनमें से 3.59 हे. जंगल झाड़ी भूमि का विवरण निम्नवत है।

क्रम स.	मौज़ा का नाम	थाना एवं थाना संख्या	प्लॉट संख्या	जंगल झाड़ी वन भूमि का रकबा (हे. में)
1.	उरीमारी	बड़कागाँव - 155	756	0.18
			688	0.28
			335	0.51
			158	0.12
			96	0.70
			87	0.67
			11	0.04
			2	1.09
			कुल	3.59 हे.

उपरोक्त जंगल झाड़ी वन भूमि का उपायुक्त हजारीबाग से अनापति प्रमाण पत्र वन, प्रयावरन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली के नियमानुसार स्टेज-II के प्रक्रिया के समय इस प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी जाएगी। उपरोक्त उपक्रम के आलोक में नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना के 8.27 हे. (अधिसूचित वन भूमि -4.68 हे. एवं जंगल झाड़ी वन भूमि-3.59 हे.) के अपयोजन हेतु स्टेज-I का प्रस्ताव अग्रसारित करने की कृपा करें।


 परियोजना पदाधिकारी
 नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना
 बरका-सयाल क्षेत्र
 सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड